

कार्यकारी सारांश

पर्यावरणीय प्रभाव और पर्यावरण प्रबंधन योजना

बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान

क्लस्टर रकबा : 33.38 एकड़ / 13.51 हेक्टेयर

ग्राम : बरबसपुर,

तहसील / जिला : महासमुंद, छत्तीसगढ़

आवेदक का नाम

राजेन्द्र गुप्ता

पोष्ट / तहसील – राजिम

जिला – गरियाबंद, छत्तीसगढ़

पिन नं. – 493885

पर्यावरणीय सलाहकार

कल्याणी लेबोरेटोरी प्रा.लि.

प्लॉट नं. 78 / 944, मिलेनियम सिटी,

पहला, भुवनेश्वर – 752101

1.1 प्रस्तावना

बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील व जिला महासमुंद के ग्राम बरबसपुर में स्थित खदान का एक नया खनन पट्टा है। परियोजना कलस्टर का कुल रकबा 100 हेक्टेयर से कम है अतः ईआईए की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 एवं बाद के संशोधनों के अनुसार यह परियोजना बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आती है। एमओईएफ एवं सी.सी. के नोटिफिकेशन एस.ओ. क्रमांक 3977(ई) परिशिष्ट-11 दिनांक 14 अगस्त 2018 के अनुसार खनिज कलस्टर के रूप में कुल रकबा 33.38 एकड़ या 13.51 हेक्टेयर क्षेत्र को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वारा आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति के लिए वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सी.सी.) नई दिल्ली की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं इसके बाद के संशोधन पर्यावरण खनिजों के खनन के लिए निकासी एक वैधानिक आवश्यकता है। इसप्रकार एमओईएफ और सीसी ने तैयार किया था। सतत विकास को प्राप्त करने और खनिजों से प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब दोहन को रोकने के लिए ईआईए इसकी नीतियाँ और नियम हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन संभावित प्रभाव-पॉजिटिव या नेगेटिव का ऑकलन एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि पर्यावरण प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से मिलकर बना है।

पर्यावरण प्रभाव को स्थगित करने के लिए आधारभूत अध्ययन का आयोजन किया जा रहा है, क्षेत्र का आंकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना के साथ प्रासंगिक ईआईए रिपोर्ट प्रोपराईटर राजेन्द्र गुप्ता के फर्शीपत्थर खदान ग्राम बरबसपुर तहसील व जिला महासमुंद के रकबा 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में तैयार किया गया है। बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान के 500 मीटर के दायरे में अन्य व्यक्तिगत 24 खदानें स्थित हैं। उक्त कलस्टर क्षेत्र में स्थित खदानों का कुल अनुमानित रकबा 13.51 हेक्टेयर है।

टेबल नं. 1.1 कलस्टर खदानों की जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (हे.)	जमीन का प्रकार	खनिज का नाम	ई.सी. के अनुसार वार्षिक उत्पादन
01.	श्री अजय कुमार चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	209	0.71	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	498.00
02	श्री राजेश चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	213	0.80	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	700.50
03	श्री रामानुज चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	212	0.75	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1751.50
04	श्री झालाराम चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	16,81, 69,177	0.50	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	487.50
05	श्री रामानुज चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	193,18	0.65	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1342.50

				7 / 2				
06	श्री साई भंडार	बरबसपुर	महासमुंद	186 / 1	0.42	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1009.5
07	श्री बालमुकुंद चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	177	0.80	शासकीय	फर्शीपत्थर	630.00
08	श्रीमति अर्चना चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	1133, 1134, 1135	1.42	शासकीय	चूनापत्थर	3999.00
09	श्री कुंदन परमार	बरबसपुर	महासमुंद	1,91,192	0.30	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1153.50
10	इन्द्रसेन भांडेकर	बरबसपुर	महासमुंद	187 / 1	0.30	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	579.00
11	हिरेंद्र साहु	बरबसपुर	महासमुंद	177, 186 / 2	0.560	प्राइवेट एवं शासकीय	चूनापत्थर	946.50
12	झालाराम चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	210	0.410	प्राइवेट	चूनापत्थर	425.10
13	श्रीमति लोचन चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	163 / 1	0.150	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	624.00
14	मे० आनंद स्टोन इंडस्ट्रीज	बरबसपुर	महासमुंद	214	0.680	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	2685.00
15	मिलन निषाद	बरबसपुर	महासमुंद	193 / 1	0.220	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	540.00
16	हेमन्त चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	178 / 2	0.180	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	150.00
17	श्री कुंदन परमार	बरबसपुर	महासमुंद	194,195	0.450	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1648.00
18	श्री ब्रिजेश चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	180, 178 / 4 181 / 4	0.330	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	1516.5
19	श्री सुरेश चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	207	0.72	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	570.00
20	श्री देवानंद चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	166	0.25	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	806.23
21	श्री मनोज चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	200	0.36	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	930.00
22	श्री लीलधर चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	159	0.360	शासकीय	फर्शीपत्थर	621.00
23	श्री दुलार परमार	बरबसपुर	महासमुंद	190	0.50	प्राइवेट	फर्शीपत्थर	950.00
24	श्री चंद्रशेखर चंद्राकर	बरबसपुर	महासमुंद	206	0.69	शासकीय	फर्शीपत्थर	513.75
कुल					12.51			25077.08

पर्यावरण प्रभाव आंकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान के लिए राजेन्द्र गुप्ता को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र टर्म ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) की शर्तों के संदर्भ में तैयार किया गया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2040/क/ई-निविदा/ख.लि./न.क्र.63/2018 महासमुंद दिनांक 10/12/2019 के अनुसार उपरोक्त खदानें बरबसपुर

फर्शीपत्थर खदान के 500 मीटर के भीतर स्थित है। बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान का माईनिंग प्लान उप-संचालक (भौमिकी एवं खनिकर्म) रायपुर द्वारा पत्र क्र. 640-2/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर दिनांक 12/06/2019 के माध्यम से यथावत् अनुमोदित किया गया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 42 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद के पत्र क्र. 237/क/ई-निविदा/ख.लि./न.क्र. 63/2018 महासमुंद दिनांक 05/02/2019 के माध्यम से रकबा 1.00 हेक्टेयर के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। सीजीएमएमआर 2015 के संशोधित नियम 38ए के अनुसार पट्टे की अवधि प्रथम एग्रीमेंट की तारीख से 30 साल तक हाती है। पर्यावरण के लिए आवेदन विधिवत् रूप से तैयार कर अनुमोदित उत्खनन योजना के आधार पर फॉर्म-1 प्रस्तावित टीओआर एवं पीएफआर के साथ पट्टेदार द्वारा एसईआईएए छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया गया है।

राजेन्द्र गुप्ता पिता श्री मदन गोपाल गुप्ता निवासी ग्राम- राजिम, तहसील-राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ 493885 प्रस्तावित प्रोजेक्ट के प्रोपराईटर है। एक अनुभवी और पूर्ण व्यवसायी होने के नाते उन्होंने फर्शीपत्थर के मार्केटिंग का पूर्ण मूल्यांकन किया है। वे अच्छी वित्तीय क्षमता रखने वाले व्यक्ति है।

खनन पट्टे के लिए दिया गया कुल क्षेत्र गैर वन अपशिष्ट भूमि के भीतर आ रहा है। राजेन्द्र गुप्ता की बरबसपुर खदान के संबंध में खसरा क्रमांक एवं जमीन के प्रकार की जानकारी नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

टेबल क्र. 1.2.1 बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान की जमीन की जानकारी

खदान का नाम	पट्टेदार का नाम	वनभूमि	गैर-वन भूमि			
			प्राईवेट कृषि भूमि	घास भूमि	बंजर भूमि	अन्य
बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान	राजेन्द्र गुप्ता	निरंक	1.00 हेक्टेयर	निरंक	निरंक	निरंक

राजेन्द्र गुप्ता की बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोशीट क्र. 64के/4 के अनुसार ग्राम बरबसपुर तहसील/जिला महासमुंद मे स्थित है। बरबसपुर कलस्टर फर्शीपत्थर खदान जिला कार्यालय से 12 कि.मी. एवं

राजधानी रायपुर से 42 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित साईट दक्षिण-पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग – 6 (रायपुर –पिथौरा रोड) से 2 कि. मी. एवं दक्षिण में राष्ट्रीय राज्यमार्ग (राजिम–फिंगेश्वर–महासमुंद रोड) से 23.90 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना स्थल पर कांक्रीट रोड के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। नजदीकी बस स्टैण्ड की दूरी 2.00 कि.मी है जो कि बिरकोनी में तथा नजदीकी रेल लाईन बेलसोण्डा में 3 कि.मी की दूरी पर स्थित है। खदान का अक्षांश व देशांतर नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

टेबल नं. 1.3 अक्षांश/देशांश के साथ टोपोशीट डिटेल्स

बारुण्डी पाइंट	अक्षांश	देशांश
बीएल 1	21°11'3.84"N	82°1'24.91"E
बीएल 2	21°11'2.02"N	82°1'30.69"E
बीएल 3	21°11'0.27"N	82°1'30.29"E
बीएल 4	21°11'2.09"N	82°1'24.20"E

पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) के अध्ययन का कार्य मेसर्स कल्याणी लेबोरेटोरी प्रा.लि. भुवनेश्वर (क्यूसीआई नेबेट से मान्यता प्राप्त कंसल्टेंट सर्टिफिकेट नंबर एनएबेट/ईआईए/1922/आरए0154 वैधता दिनांक 28/04/2022) को दिया गया है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट दिनांक 15 दिसंबर से 15 मार्च 2020 के बीच लिए गए बेसलाईन डाटा के आधार पर तैयार किया गया है।

1.1 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

टेबल 1.4 प्रोजेक्ट की संक्षिप्त रूपरेखा : बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान/ राजेन्द्र गुप्ता

क्र	मुख्य विषेष्टाएं	विवरण
1.	कुल लीज क्षेत्र	1.00 हेक्टेयर
2.	ग्राम	बरबसपुर
3.	तहसील	महासमुंद
4.	जिला एवं राज्य	महासमुंद, छत्तीसगढ़
5.	जमीन का प्रकार	गैर-वन, प्राइवेट भूमि
6.	टोपोशीट नं.	64 के/4
7.	नजदीकी शहर	महासमुंद (12 कि.मी.)
8.	नजदीकी रोड	एन एच 6/ए एच 46 (2 कि.मी.)
9.	नजदीकी नदी	महानदी – 3.70 कि.मी.

		कोडार नदी – 5 कि.मी.
10.	नजदीकी रेल्वे स्टेशन	महासमुंद रेल्वे स्टेशन (12 कि.मी.) (बेलसोन्डा – 3.35 कि.मी.)
11.	नजदीकी हवाई अड्डा	रायपुर हवाई अड्डा (33.50 कि.मी.)
12.	नजदीकी वन	कुकराडीह आर.एफ. – 8 कि.मी. एवं तुमगांव – 10.00 कि.मी.
13.	खनिज	फर्षीपत्थर (निम्न श्रेणी चूनापत्थर)
14.	उत्पादन की दर	5,670 टन प्रति वर्ष
15.	अपशिष्ट का प्रकार	कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होने की संभावना है।
16.	आवश्यक जल की मात्रा	धूल व मिट्टी में छिड़काव के लिए – 2 KLD, पौधारोपण के लिए – 4.50 KLD एवं पीने एवं धोने के लिए – 0.35 KLD अर्थात् कुल – 6.85 KLD।
17.	पानी का स्रोत	ग्राम पंचायत से टैण्कर द्वारा पानी लिया जाएगा।
18.	श्रमिकों की संख्या	1 योग्य, 1 अनुभवी एवं 5 मजदूर अतः कुल – 7 व्यक्ति।

1.2.1 रिजर्व का आंकलन

पट्टे के भीतर रिजर्व की गणना ग्राफिकल विधि द्वारा की गई है। क्षेत्र समतल भूमि है। रिजर्व के लिए अपनाया गया फार्मूला ग्राफिकल विधि है, इस प्रकार मेरा विनिर्देशन आलेखीय विधि से निम्नानुसार है :-

टेबल नं.1.5 रिजर्व का आंकलन एवं विवरण

पार्टिकुलर ऑफ माईन	विवरण
लीज एरिया	1.00 (हेक्टेयर)
फ्रेश एरिया ऑफ माईन	10000 वर्ग मीटर
सतह से अनुमानित गहराई	9.00 मीटर
ऊपरी मिट्टी की मोटाई	3.00 मीटर
माईन बाऊण्ड्री के बाहरी सीमा की लंबाई	474.00 मीटर
माईन बाऊण्ड्री के आंतरिक सीमा की लंबाई	416.00 मीटर
माईन बाऊण्ड्री की औसत लंबाई	445.33 मीटर
माईन बाऊण्ड्री की चौड़ाई	7.50 मीटर
माईन बाऊण्ड्री की औसत लंबाई (ऊपरी मिट्टी के साथ)	445.33 मीटर
फ्रेश एरिया ऑफ माईन बाऊण्ड्री (ऊपरी मिट्टी के साथ)	3340.00 वर्ग मीटर
एरिया ऑफ स्टोन क्रशर	निरंक
एरिया ऑफ स्टोन स्टोरेज	निरंक
पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व	2.40 टन/घनमीटर
कुल जिओलॉजिकल रिजर्व	60,000.00 घनमीटर

	/ 1,44,000 टन
कुल रिजर्व ब्लाकेज इन माईन बाऊण्ड्री	20,040.00 घनमीटर / 48,096.00 टन
रिजर्व ब्लाकेज इन बेंचेस एण्ड स्लोप मेंटेनेंस	10,725.00 घनमीटर / 25,740.00 टन
कुल ब्लाकेज	30,765.00 घनमीटर / 73,836.00 टन
माईनेबल रिजर्व = (जिओलॉजिकल रिजर्व - ब्लाकड रिजर्व)	29,235.00 घनमीटर / 70,164.00 टन
माईन लॉस	2,923.50 घनमीटर / 7,016.40 टन
रिजेक्टस् ऑफ फर्शीपत्थर	2,631.15 घनमीटर / 6,314.76 टन
रिकवरेबल रिजर्व = (माईनेबल रिजर्व-डिडक्सन फॉर माईन लॉस एण्ड रिजेक्टस्)	23,680.35 घनमीटर / 56832.84 टन
ऊपरी मिट्टी	19,980 घनमीटर / 47,952.00 टन

कलस्टर क्षेत्र के भीतर मौजूद खदानों के खनन का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :-

टेबल नं. 1.6 राजेन्द्र गुप्ता की बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान के 500 मीटर के दायरे में आने वाली कुल 24 अन्य खदानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम	औसत उत्पादन	रकबा (वर्गमी.)	गहराई मी. में	कुल उत्खनन	जिओजिकल रिजर्व (घनमी. में)	माईनेबल रिजर्व (घनमी. में)	रिकवरेबल रिजर्व
01	श्री अजय कुमार चंद्राकर	बरबसपुर	498.00	7100	8	24528	24528	6568	4926
02	श्री राजेश चंद्राकर	बरबसपुर	700.5	8000	15	94949.2	94949.2	44621.6	33466.2
03	रामानुज चंद्राकर	बरबसपुर	1751.5	7500	10	52992	52992	23232	17424
04	श्री झालाराम चंद्राकर	बरबसपुर	487.50	5000	6	18472	18472	5332	3999
05	रामानुज चंद्राकर	बरबसपुर	1342.5	6500	10	54639	54639	16981.5	12736.124
06	श्री साई भंडार	बरबसपुर	1009.5	4200	12	38786.0	38786.0	11216	8412
07	श्री बालमुकुंद चंद्राकर	बरबसपुर	630.0	8000	9.5	55008	55008	14648	10986
08	श्रीमति अर्चना चंद्राकर	बरबसपुर	3999.0	1420	10	98176	98176	55289.5	41467.12
09	श्री कुंदन परमार	बरबसपुर	1153.5	3000	10	24840	24840	9340.75	7005.56
10	ईन्द्रसेन भांडेकर	बरबसपुर	579	3000	6	11660	11660	5644	4233
11	हिरेन्द्र साहु	बरबसपुर	946.5	5600	11	37548	37548	12564	9423
12	झालाराम चंद्राकर	बरबसपुर	425.1	4100	6	26539.6	26539.6	6705.6	5029.2
13	श्रीमति लोचन चंद्राकर	बरबसपुर	624.00	1500	10	13296	13296	3174.4	2380.8

14	मे0 आंनद स्टोन ईंडस्ट्रीज	बरबसपुर	2685.0	6800	8	63061	63061	33446.5	25084.88
15	मिलन निषाद	बरबसपुर	540.00	2200	11	15486	15486	3996	2996.8
16	हेमन्त चंद्राकर	बरबसपुर	150.00	1800	6	8319	8319	254425	708.188
17	श्री कुंदन परमार	बरबसपुर	1648	4500	11	30628	30628	9587.52	7190.64
18	श्री ब्रिजेश चंद्राकर	बरबसपुर	1516.5	3300	8	24321	24321	6979.5	5234.624
19	श्री सुरेश चंद्राकर	बरबसपुर	570.00	7200	10	59733	59733	27775	20831.24
20	श्री देवानंद चंद्राकर	बरबसपुर	806.23	2500	8.5	23850.4	23850.4	4041	3636.9
21	श्री मनोज चंद्राकर	बरबसपुर	930.00	3600	8	26624	26624	9932	7449
22	श्री लीलधर चंद्राकर	बरबसपुर	621.00	3600	6	9000	9000	4108.5	3081.375
23	श्री दुलार परमार	बरबसपुर	950	5000	6	25000	25000	12375	11756.25
24	श्री चंद्रशेखर चंद्राकर	बरबसपुर	513.75	6900	8	19027.5	19027.5	5138.37	3853.78
कुल			25077.08	125100	214	856483.70	856483.70	587121.74	253311.68

टेबल नं. 1.7 बरबसपुर फर्षीपत्थर खदान के अनुमानित रिजर्व का सारांश निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण	मात्रा (घनमीटर में)
01.	टोटल जिओलॉजिकल रिजर्व	8,56,483.70
02.	लेस : माईनेबल ब्लॉकेज	2,69,361.96
03.	माईनेबल रिजर्व	5,87,121.74
04.	माईन लॉस और रिजेक्टस् को हटाने के बाद रिकवरेबल रिजर्व	2,53,311.68
05.	उत्पन्न अपशिष्ट	3,33,810.06

टेबल नं. 1.8 वार्षिक उत्पादन योजना का विवरण :-

अवधि	खनन क्षेत्र (वर्ग मी.)	उत्पादन (घन मी.)	रिजेक्ट (घन मी.)	टॉप स्वाईल (घन मी.)
प्रथम वर्ष	3330	2065.50	229.50	9990
द्वितीय वर्ष	800	1944.00	216.00	0
तृतीय वर्ष	875	2126.25	236.25	0
चतुर्थ वर्ष	835	2029.05	225.45	0
पंचम वर्ष	3330	1992.60	221.40	9990
छठवां वर्ष	860	2089.80	232.20	0
सातवां वर्ष	815	1980.45	220.05	0
आठवां वर्ष	840	2041.20	226.80	0
नौवां वर्ष	795	1931.85	214.65	0
दसवां वर्ष	867	2106.81	234.09	0
कुल		20,307.51	2,256.39	19989.00

1.2.2 काल्पनिक खनन विवरण :

चूंकि प्रस्तावित खनन योजना वर्तमान सतह से 9 मीटर की गहराई तक के लिए तैयार की गई है। इसलिए खदान में 9 मीटर की गहराई तक पहुँचने के उपरांत या लीज अवधि दौरान के किसी भी समय जिला खनिज विभाग के इंस्पेक्शन के आधार पर यदि और मिनरल की उपलब्धता पाई जाती है, तो संबंधित उच्च अधिकारियों के अनुमति से आगे उत्खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

राजेन्द्र गुप्ता की प्रस्तावित बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान का अधिकतम आकार 0.66 हेक्टेयर है जिसे भविष्य में जलाशय में परिवर्तित किया जाएगा। किसी भी तरह का अपशिष्ट डम्प नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट्स को निर्माण कार्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। प्रयोजना कार्य के दौरान उत्पन्न ऊपरी मिट्टी को पौधारोपण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

काल्पनिक योजना का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

टेबल नं. 1.9 काल्पनिक योजना का विवरण

A)	अनुमानित रिकवरेबल रिजर्व	23680.35 घन मी. या 56832.84 टन
B)	प्रथम पाँच वर्ष का औसत उत्पादन	2031.48 घन मी. या 4875.55 टन
C)	द्वितीय पाँच वर्ष का औसत उत्पादन	2030.02 घन मी. या 4872.05 टन
D)	स्वीकृत लीज अवधि	30 साल
E)	उत्खनन योजना की अवधि	10 साल
F)	अपेक्षित लाईफ ऑफ माईन	लगभग 12 साल (खदान की 9 मीटर की गहराई तक)

टेबल नं. 1.10 भूमि उपयोग का विवरण

भूमि उपयोग का प्रकार	5 साल खत्म होने के उपरांत भूमि का उपयोग (हे. में.)	10 साल खत्म होने के उपरांत भूमि का उपयोग (हे. में.)
वन भूमि	निरंक	निरंक
कृषि भूमि	निरंक	निरंक
अनुपयोगी भूमि		
A लीज एरिया	1.000	1.000
B खदान और संबंध क्षेत्र		
1. गढ़दे के नीचे का क्षेत्र	0.666	0.666
2. माईन बाऊण्ड्री	0.334	0.334
3. डंपिंग एरिया	0.200	0.2004
4. पौधारोपण	0.200	0.2004

उत्खनन के दौरान 265 मी. AMSL से 3 मीटर की गहराई तक 3330 वर्गमीटर क्षेत्र से कुल 19980 घनमीटर टॉप स्वाइल हटाया जाएगा। संगत ढलान में समान ऊँचाई एवं चौड़ाई में माईन बाऊण्ट्री में रखा जाएगा। खनन के दौरान उत्पन्न रिजेक्ट्स को अपशिष्ट के रूप में लिया जाएगा क्योंकि यह उपयोग के लायक नहीं होता है। अध्याय 4 एवं अध्याय 5 में दिए गए विवरण के अनुसार उत्खनन योजना के संचालन अवधि के दौरान कुल 5,415.336 मिट्टिक टन फर्शीपत्थर उत्पन्न होने की संभावना है।

1.2.3 श्रमषक्ति:

रोजगार क्षमता निम्नानुसार होगी :-

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) माईनिंग मेट | : 1 व्यक्ति योग्य |
| (2) सुपरवाइजर | : 1 व्यक्ति अनुभवी |
| (3) सेमी-स्कील्ड लेबर | : आवश्यक उत्पादन की मात्रा के अनुसार |
| (4) स्कील्ड लेबर | : ओ. एम. एस. मानक के अनुसार 240 कार्यदिवस में 2126.25 घनमीटर/5103 टन के उत्पादन के लिए प्रति दिन एक मजदूर की क्षमता 5 टन प्रतिदिन के अनुसार कुल 5 मजदूरों की आवश्यकता होगी। |

अतः कुल आवश्यक मजदूरों की संख्या : 7 होगी।

1.3 आवश्यक जल एवं बिजली :

प्रस्तावित खदान में पानी की आवश्यकता धूल मिट्टी को दबाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए एवं पीने तथा धोने के लिए लगेगी। पानी की आवश्यक मात्रा की पूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से लेकर की जायेगी।

टेबल नं. 1.11 माईनिंग कार्य के लिए आवश्यक पानी की मात्रा :

विवरण	मात्रा (KLD)
धूल मिट्टी दबाने के लिए	2.00
पौधारोपण	4.50
पीने और धोने	0.35
कुल आवश्यक पानी की मात्रा	6.85

बिजली की आवश्यकता पत्थर को कटिंग करने, पानी को बाहर निकालने एवं अस्थाई आराम गृह के लिए कुल 25 एच.पी. की आवश्यकता रहेगी अतः स्थानीय बिजली बोर्ड को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया गया है।

1.4 पर्यावरण भूमि

जैसा कि ऊपर प्रस्तुत उपग्रह इमेजनरी डेटा के अनुसार यह देखा गया है कि लगभग 80 प्रतिशत भूमि परती भूमि से ढंका हुआ है एवं सिंचित भूमि (रबी फसल भूमि) में 8.9 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत भूमि खदान शामिल हैं, खदान साइट 0.8 प्रतिशत तालाब/झील 0.97 प्रतिशत और नदी कुल भूमि उपयोग योजना के 4.75 के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि बफर जोन में जंगल और कृषि भूमि कम कृषि कार्य के साथ का वर्चस्व है। मध्यवर्ती क्षेत्र बस्ती और औद्योगिक क्षेत्र भी इसके भीतर व्याप्त है।

1.5 मिट्टी की गुणवत्ता

क्षेत्र की मिट्टी 7.5–7.9 की पीएच रेंज के साथ तटस्थ है। मिट्टी में कुल जैविक कार्बन की मात्रा 2.48–3.63 प्रतिशत है। उपलब्ध नाइट्रोजन 113–176 कि.ग्रा./हेक्ट. और पोटेशियम की मात्रा 302–426 एम.जी./कि.ग्रा. है। क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता कम है। इस प्रकार की मिट्टी को अधिक सिंचाई एवं खाद की आवश्यकता होगी।

1.6 जल पर्यावरण

1.6.1. सतही जल का विप्लेषण

पानी के नमूनों की पीएच सीमा 7.5–7.6 से तटस्थ है। पानी के लिए गए नमूने की कुल कठोरता 152–240 मि. ग्रा./लीटर है। पानी के नमूने की विद्युत चालकता 240 से लेकर 500 /से.मी. है। पानी के नमूने में भंग ऑक्सीजन लेवल 6.3–6.4 मि.ग्रा./लीटर है। बायोकेमिकल सतह जल निकाय की ऑक्सीजन की मांग 4–6 मि.ग्रा. /लीटर है। सीपीसीबी द्वारा पानी की लिए गए नमूनों की गुणवत्ता के परिणामों से यह अनुमान लगाया गया है कि विश्लेषण किए गए सभी पैरामीटर वर्ग सी के अनुसार निर्धारित सीमा के तहत हैं तथा पानी में कोई प्रदूषण उपस्थित नहीं है जो फसल, पशु या मानव, आदि के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा।

1.6.2 भू-जल विप्लेषण

- पानी रंगहीन और गंधहीन होता है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाया जाता है।
- सैम्पल भूजल के नमूने का पीएच स्तर 7.3–7.6 है जो यह इंगित करता है कि भूजल का पीएच तटस्थ है और पेयजल मानक के अनुसार है।

- कुल कठोरता 200 –244 मि.ग्रा./लीटर से होती है और कुल घुलित अपशिष्ट की सीमा 250–530 मि.ग्रा./लीटर से होती है।
- क्षारीयता 187–330 एमजी/लीटर तक होती है।

1.7 वायु पर्यावरण

औद्योगिक उत्सर्जन वाहन चालन दहन, जैव ईंधन और अन्य मानव निर्मित स्रोत उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। अध्ययन की अवधि के दौरान PM₁₀ की सांद्रता 35.4–67.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ एवं PM₂₅ की सांद्रता 16.7–25.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य पाई गयी। SO₂ की सांद्रता 5.1–9.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा NO_x सांद्रता 9.9–19.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ । एकाग्रता कण के मामले में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एनएएक्यू, 2009 मानकों के भीतर हैं।

1.8 ध्वनि पर्यावरण

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। परिवेश का शोर स्तर आठ नमूना स्थानों में मापा गया था। परियोजना स्थल में दिन का समय शोर स्तर 51.4 dB (A) और रात के समय का शोर स्तर 38.7 dB (A) रिकार्ड किया गया है। भसेरा गाँव में शोर का स्तर दिन का समय अधिकतम 52.9 dB (A) तथा रात के समय न्यूनतम शोर स्तर 37.4 dB (A) रिकार्ड किया गया है। भसेरा गाँव में शोर का स्तर अधिकतम रिकार्ड किया गया।

1.9 जीवविज्ञान पर्यावरण

परियोजना स्थल के बफर जोन में केवल एक संरक्षित फॉरेस्ट उदा. फोकहरा पीएफ और कुछ मिश्रित खुले जंगल है। यह क्षेत्र ज्यादातर खुरचने और खुले जंगल के साथ-साथ गाँवों के पास की वनस्पतियों से घिरा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य पौधों की प्रजातियां नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर, पलास, अमरूद, अमला, आदि है। परियोजना स्थल और इसके बफर जोन में कोई भी वन्य जीवन अभ्यारण्य, पारिस्थितिकी क्षेत्र या वन्यजीव गलियारा निकटतम शामिल नहीं हैं। परियोजना स्थल से नजदीकी में उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व है जो कि परियोजना स्थल से 110 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना स्थल से 10 कि.मी. के भीतर का क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर भंडार वन्य जीवन गलियारे, बाघ/हाथी रिजर्व से आदि रहित है। प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी प्रकार के संवेदनशील, लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय वनस्पतियों आदि से रहित है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व परियोजना स्थल से 110 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

1.10 सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल

परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. के दायरे में स्थित परियोजना क्षेत्र के भीतर 47 गांव मौजूद है। कुल आबादी में से 50006 लोग साक्षर हैं जो बफर जोन में लगभग 53 प्रतिशत योगदान करते हैं। कुल साक्षरता में से पुरुष साक्षरता में 28749 यानि 57 प्रतिशत और महिला साक्षरता में 21257 का योगदान 43 प्रतिशत है। यह देखा गया है कि महिला आबादी की तुलना में पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत अधिक है। परियोजना गांवों की कुल आबादी का 34 प्रतिशत निरक्षर है। कुल आबादी में से 37545 व्यक्ति (लगभग 25 प्रतिशत) व्यक्ति गैर श्रमिक है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर है।

दोनों लिंगों की कार्यबल भागीदारी के बारे में, डेटा से पता चलता है कि पुरुष के संबंध में महिला कार्यबल भागीदारी दर तुलनात्मक रूप से कम है। कुल कामकाजी आबादी में से 22267 (59 प्रतिशत) पुरुष है और 15278 (41 प्रतिशत) महिलाएं हैं।

कुल श्रमिकों में से 28795 मुख्य श्रमिक है और 11658 सीमांत श्रमिक हैं। मुख्य श्रमिकों की आबादी में महिला श्रमिकों की तुलना में पुरुष श्रमिकों का हाशिए पर वर्चस्व है, जबकि सीमांत श्रमिकों के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है।

1.11 प्रभाव एवं उनके शमन के उपाय

1.11.3 शोर और कंपन के कारण प्रभाव

खनन कार्य और संबधित गतिविधियों के दौरान मुख्य शोर पैदा करने वाला स्रोत उत्खनन फ्लैगस्टोन कटिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है। जैसा कि प्रस्तावित खनन गतिविधि ओपेन कॉस्ट मैनुअल खनन विधि है जिससे शोर उत्पन्न कम होगा। यह उम्मीद है कि उत्पन्न शोर खदान लीज क्लस्टर के भीतर सीमित होगी और मध्यवर्ती क्षेत्र पर शोर का कोई गहरा असर नहीं होगा। शोर स्तर को निर्धारित मानक सीमा से कम मशीनों के गहन रख-रखाव से रखा जाएगा। चूंकि प्रस्तावित गतिविधि में कोई ड्रिलिंग शामिल नहीं है और प्रस्तावित परियोजना के कारण धमाके की गतिविधि नहीं होगी।

शमन के उपाय

यद्यपि उक्त खदानों में ध्वनि प्रदूषण बहुत कम है फिर भी शमन उपायों का पालन करना चाहिए। शोर और कंपन के नियंत्रण के लिए निम्नानुसार शमन उपाय अपनाया जाएगा :

- खनन के लिए शोर स्तर को कम करने के लिए एक सुनियोजित ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है।
- शोर स्तर को कम करने के लिए मशीनरी और चाहनों का नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफ्स का उपयोग विशेष रूप से खुदाई और पत्थर काटने के से शोर के दौरान किया जाएगा।

1.11.4 स्थलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव

पट्टा क्षेत्र किसी भी वन भूमि से रहित है। पट्टा क्षेत्र से निकटतम आरक्षित वन कुकराडीह आर.एफ.8 किमी और तुमगांव आर.एफ.10 किमी दूरी पर स्थित है। पट्टा क्लस्टर क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र से कोई भी वन भूमि को नहीं जुड़ा है। पट्टा क्षेत्र के भीतर कोई मौजूदा वनस्पति नहीं है जैसा कि क्षेत्र है 16 ज्यादातर परती भूमि है। बफर जोन में किसी भी वन भूमि नहीं है और बफर जोन का लगभग 80% परती जमीन है। बफर जोन में भूमि उपयोग में परती भूमि शामिल है। खनन गतिविधियों के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। जैसा कि मुख्य क्षेत्र प्रमुख वनस्पतियों से रहित है ओर जीवों की पररिस्थितिक स्थिति पर क्षेत्र से कोई प्रभाव नहीं पडता है।

हालाँकि जैविक पर्यावरण पर संभावित प्रभाव निम्नानुसार होंगे :

- चूंकि पट्टा क्षेत्र खनन गतिविधि के लिए किसी भी पेड़ प्रजाति से रहित है इसलिए बड़े पेड़ प्रजातियों को हटाया नहीं जाएगा।
- एंथ्रोपोलॉजिकल हस्तक्षेप परियोजना गतिविधि के कारण जंगली जीवों और वनस्पतियों की बस्ती पर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है।
- चूंकि बफर जोन और कोर जोन किसी भी वन भूमि से रहित है जो जैविक पर प्रभाव डालता है, जैविक पर्यावरण बहुत कम है।

शमन के उपाय

- वृक्षारोपण क्षेत्र के तहत पट्टे की सीमा को कवर किया जाएगा।

- खनन खदानों को जंगली या घरेलू जानवरों के गिरने के खतरे को कम करने के लिए ठीक से बाड़ लगाया जाएगा।
- सजावटी पत्थरों के परिवहन में उपयोगी वाहनों को ध्वनि स्तर को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर को ठीक बनाए रखा जाएगा।
- व्यक्तिगत पट्टा क्षेत्र द्वारा विकसित ग्रीन बेल्ट दृष्टिकोण को बढरएगा परियोजना।

वर्ष	पौधारोपण की चौड़ाई	पंक्ति की संख्या	माईन बाऊण्डी की लंबाई	पौधों की संख्या
1 st Year	2	3	89.07	134
2 nd Year	2	3	89.07	134
3 rd Year	2	3	89.07	134
4 th Year	2	3	89.07	134
5 th Year	2	3	89.07	134
कुल	—	—	—	670

1.11.5 सामाजिक—आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव

परियोजना में कृषि भूमि का कोई नुकसान शामिल नहीं है। कुछ प्रभाव सीधे होंगे प्रस्तावित रोजगार क्षमता के कारण सामाजिक— आर्थिक वातावरण के लिए फायदेमंद और ढांचागत सुविधाओं में सुधार हुआ जबकि उनमें से कुछ प्रतिकूल प्रकृति की होगी। सामाजिक आर्थिक वातावरण पर परियोजना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकती है। प्रभावों को नीचे के रूप में संक्षेपित किया गया है :-

- बेहतर नौकरी और व्यवसाय के अवसर के कारण सकारात्मक प्रभाव
- गाँवों के स्थान के आधार पर वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण नकारात्मक प्रभाव
- भूमि कम और लोगों के श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका विकल्प बनाकर सकारात्मक प्रभाव
- ग्रामीणों के लिए, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और संचार सुविधा बनाकर सकारात्मक प्रभाव
- परियोजना गतिविधि से कोई भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नहीं होगी

शमन के उपाय

- विस्तार के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना सामाजिक विकास के लिए किए गए मूल्यांकन के आधार पर परियोजना लाभ अध्ययन एवं आर्थिक सर्वेक्षण।
- सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, गांवों में वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जैसे विकास कार्य ग्रामिणों के लिए सुविधा, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा सुविधा की योजना बनाई जाएगी लोगों और ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- चूंकि सजावटी पत्थर की खदानों में प्रदूषण का भार बहुत कम होगा और यह केवल पट्टा क्षेत्र तक सीमित होगा।
- प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए पट्टेदार द्वारा सभी प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाएंगे।
- वायु प्रदूषक एवं शोर को रोकने करने के लिए पट्टे की सीमा के आसपास मोटी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी।

1.12 आपदा प्रबंधन योजना

किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियात उपाय किए जाएंगे।

- ओपनकास्ट कामकाज के शीर्ष किनारे को ठीक से रखा जाएगा। अंतिम चरण में, कामकाज चिनाई की दीवार के साथ लगाया जाएगा (एक पैरापेट के साथ 0.13 मीटर मोटी और 1.2 मीटर ऊंची कम नहीं है)
- खुदाई के पक्ष और बेंच की ऊंचाई और चौड़ाई को ठीक से बनाए रखा जाएगा खनन नियमों के अनुसार उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जाएगा कोई ओवरहैंड नहीं होगा की अनुमति दी।
- भूवैज्ञानिक के क्षेत्रों में काम करते समय विशेष ध्यान और अपेक्षित सावधानी बरती जाएगी कमजोरी जैसे स्लिप का होना, गलती आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंच साइड की नियमित ड्रेसिंग की जाएगी।
- सुरक्षा बेल्ट या रस्सी का प्रावधान जबकि लोग खदान के किनारों या बेंच से काम पर हैं जहाँ 1.8 मीटर से अधिक पत्थर गिरने की संभावना है।
- ओपनकास्ट कामकाज में तैनात मशीनरी के रख रखाव की समय सारणी बनाई जाएगी।
- पैरापेट दीवार की बाड़ या गार्ड के साथ ठीक से रखी गई सड़कों के रखरखाव का प्रावधान और रणनीतिक बिंदुओं पर सड़क के संकेत लगाए जाएंगे।

- दृश्य-श्रव्य स्थापित करके डंपर, उत्खनन आदि करते समय खतरे के प्रति सावधानी अलार्म और स्पॉटर्स की नियुक्ति।
- एक इंजीनियर और वाहनों के उचित रखरखाव और साप्ताहिक परीक्षा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा करवाई जाएगी। मशीन आपरेटरों को प्रशिक्षण और फिर से शिक्षित करना (निर्दिष्ट अंतराल पर)। बिजली के उपकरणों का पर्याप्त रखरखाव और पर्याप्त रोशनी दिन के उजाले के बाद।

1.13 कॉरपोरेट एनवायरनमेंटल रिस्पॉसिबिलिटी

एमओईएफ और सीसी ओएम नंबर 22-65/2017- आईए 2(एम) दिनांक 01/05/2018 के अनुसार, यह सिफारिश की गई कि परियोजना लागत का 2% कॉरपोरेट पर्यावरण के लिए प्रदान किया जाएगा जिम्मेदारी परियोजना की अनुमानित लागत पर रु 201000 की परिकल्पना की गई है। तदनुसार परियोजना लागत का न्यूनतम 2% यानी रु 41000 को सीईआर गतिविधियों के लिए खर्च करना होगा। सारणी में आठ नग पट्टियों की प्रस्तावित खानों के लिए सीईआर योजना तैयार की गई है जो निम्नानुसार है :-

टेबल 1.14 राजेन्द्र गुप्ता की बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान के लिए प्रस्तावित सी.ई.आर. प्रोजेक्ट

खदान का नाम	पट्टेदार	प्राजेक्ट की लागत	सी.ई.आर. एक्टिविटी	सी.ई.आर. लागत (रु.में.)
बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान	राजेन्द्र गुप्ता	20.01 लाख	रैन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण में	1,01,000/-
			रनिंग वाटर प्रबंधन	10,000/-
			स्कूल के चारों ओर पौधारोपण	5,000/-
			कुल	1,16,000/-

टेबल 1.15 प्रस्तावित सी.ई.आर. योजना (कुल कलस्टर क्षेत्र)

क्र.	गतिविधियाँ	लोकेशन	समय सीमा					आबंटित बजट
			1 st Yr	2 nd Yr	3 rd Yr	4 th Yr	5 th Yr	
प्रदूषण नियंत्रण के उपाय								
01.	ग्रीन बेल्ट, धूल-मिट्टी से बचाव और अन्य पर्यावरण प्रबंधन के कार्यों की लागत	लीज क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में	**	**	**	**	**	62,500.00
सी.ई.आर. के अंतर्गत परिधीय विकास कार्य								
01.	रैन वाटर हार्वेस्टिंग	बरबसपुर	**	**	**	**	**	10,000.00
02.	स्कूल परिसर में वृक्षारोपण	बरबसपुर	**	**	**	**	**	30,000.00
03.	ग्रामीण लोगों एवं	नजदीकी ग्राम	**	**	**	**	**	नियमानुसार

	नजदीक ग्राम के नवयुवकों को रोजगार के अवसर								
04.	ग्राम के लोगो के लिए चिकित्सा शिविर	नजदीकी ग्राम	**	**	**	**	**	50,000.00	
05.	प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षण सामग्री	नजदीकी ग्राम	**	**	**	**	**	30,000.00	
06.	कलस्टर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली सड़कों में पानी छिड़काव करने में	नजदीकी ग्राम	**	**	**	**	**		

1.14 पर्यावरण नीति

वर्तमान में बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है एवं संबंधित विभाग के द्वारा बरबसपुर फर्शीपत्थर क्लस्टर के लिए पर्यावरणीय नितियों का निर्धारण किया जाएगा जिसे पट्टेदार समान, ग्राहक एवं इम्प्लॉई के दृष्टिकोण से लागू करने हेतु बाध्य है। पर्यावरणीय एवं सुरक्षा नीति निम्नानुसार है:-

- पर्यावरण संरक्षण के साथ इम्प्लॉईयों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान को देखते हुए, पर्यावरणीय सुरक्षा नीति बनाई गई है।
- प्राकृतिक संपदा के रिसाइकल, रियुज एवं कम उपयोग के सिद्धांतों के आधार पर ही पट्टेदार कार्य करने को बाध्य है।
- पर्यावरण पर हर संभव प्रभाव तथा उसे सुधारने के उपाय को खोजने व लागू करने के लिये पट्टेदार बाध्य है।
- हमारे द्वारा पर्यावरणीय सुधार एवं सुरक्षा के प्रयासों को लगातार देखा व जांचा जाएगा एवं इसी की सूचना दी जाएगी, जो की पर्यावरण व स्वास्थ्य में सुधारों की जांच में सहायक होगा।
- मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये नुकसानदायक कार्यस्थलों की पहचान करके दुर्घटनाओं को कम करने के लिये उनके बीच जागरूकता बनाई जाएगी। दुर्घटना को रोकने दुर्घटना की स्थिति में त्वरित तैयारी के लिये ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छे कार्य का माहौल, सुरक्षा प्रबंधन एवं मजदूरों के सहयोग से दुर्घटना एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है ऐसा हमारा विश्वास है।

1.15 परियोजना और पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण को नियंत्रित करने के उपाय :-

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की प्रक्रिया में स्थान विशेष के बिन्दुओं को पहचाना गया जिसे पर्यावरणीय परियोजना लागत एवं परियोजना के भाग के रूप में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। सभी मेजरमेंट के पर्यावरण प्रबंधन योजना में विस्तार से बताया गया है।

आवेदित खनन परियोजना के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना के संबंध में परियोजना लागत पूंजीगत की जानकारी निम्नलिखित सारणी में विस्तृत रूप से दी गई है :-

टेबल नं. 1.16 परियोजना की लागत

खदान का नाम	पट्टेदार का नाम	जमीन की कीमत (रु. में)	बिल्डिंग की लागत	उपकरणों की लागत	संस्थापन की लागत	कुल लागत
बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान	राजेन्द्र गुप्ता	11.51	1.00	2.50	5.00	20.01

टेबल नं. 1.17 परियोजना की लागत

खदान का नाम	पट्टेदार का नाम	ईएमपी की प्रस्तावित लागत
बरबसपुर फर्शीपत्थर खदान	राजेन्द्र गुप्ता	62,500 / -